

क्र 6(13)शिव/6/97 WZ 2011W  
21-5-2000

राजस्थान सरकार  
राजस्व & ग्रुप-6 & विभाग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

क्रमांक: प. 6 & 63 & राज-4/87 /8

जयपुर, दिनांक:- 25.05.2000

-: प रि प त्र :-  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

राजस्थान भू-राजस्व & पेट्रोल पम्प स्थापित करने के प्रयोजनार्थ कृषि भूमि आवंटन एवं स्थान्तरण & नियम, 1973 के निरसित नियम 8 & 3 & के अनुसार भूमि 99 वर्ष की लीज के आधार पर आवंटित होती थी एवं प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात राज्य सरकार द्वारा लीज की शर्त एवं निबन्धनों में संशोधन करने का प्रावधान था ।

राजस्थान भू-राजस्व & विनियम, पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण & नियम, 1978 से 1973 के नियम निरसित किये गये हैं तथा उपरोक्त 1978 के नियम प्रभावशील है । 1973 के नियमों के अन्तर्गत किये गये आवंटन के ऐसे प्रकरण जिनमें आवंटन की 20 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है उनमें लीज शर्तों के अनुसार लीज दरों में संशोधन/वृद्धि की जा सकती है ।

विधि विभाग की राय के अनुसार 1978 के नियमों के नियम 12 & निरसन एवं व्यावृत्तियां & से स्पष्ट है कि वर्ष 1973 के नियमों में की गई कार्यवाही & आवंटन, लीज डीड जारी करना आदि & से प्राप्त अधिकार को यह निरसन प्रभावित नहीं करता है क्योंकि 1973 के नियमों के अधीन भूमि की लीज डीड जारी की जा चुकी थी एवं लीज से प्राप्त उक्त अधिकार 1978 के नियमों से प्रभावित नहीं होते हैं व ऐसे प्रकरण 1973 के नियमों में जारी लीज की शर्तों के अनुसार ही शासित होंगे ।

अतः निदेशानुसार लेख है कि 1973 के उक्त नियमों के तहत जारी लीज डीड के नवीनीकरण के प्रकरणों में लीज की शर्तों की पालना की जाँच कर उनका नवीनीकरण 1973 के नियमों की शर्तें एवं दरों पर किया जायें ।

शिव कुमार शर्मा  
शासन उप सचिव

मनोज/255